भारत सरकार
मत्स्यपालन,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4044
25 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लाभार्थी

4044. श्री बी. मणिक्कम टैगोर :
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि विशेषकर दूरदराज और तटीय क्षेत्रों में, जहां मछुआरों को संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है, नावों के उन्नयन और प्रतिस्थापन के लिए वित्तीय सहायता लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सके;

(ख) मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए सुरक्षा गियर और बीमा कवरेज के लिए राजसहायता प्रदान करने में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) की सफलता का ब्यौरा क्या है, और क्या उक्त योजना के इन पहलुओं को कार्यान्वित करने के दौरान कोई महत्वपूर्ण चुनौतियां सामने आई हैं;

(ग) पीएमएमएसवाई के विवरण के अंतर्गत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध या मछली की कम मात्रा प्राप्ति अवधि के दौरान आजीविका संबंधी सहायता के प्रावधान शामिल हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं कि यह सहायता समय पर उपलब्ध हो सके और सभी पात्र मछुआरों, विशेषकर हाशिए पर पड़े समुदायों तक पहुंच सके;

(घ) क्या सरकार पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) के सुचारु गठन और विकास को सुनिश्चित कर रही है, और इन संगठनों के माध्यम से मछुआरों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) और (ख): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार देश में मात्स्यिकी और जलीय कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को लागू कर रही है। पीएमएमएसवाई को मौजूदा फिशिंग
वेसेल्स का उन्नयन, बीमा, आजीविका सहायता, मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) के गठन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जागरूकता सृजन और आउटरीच गतिविधियों के साथ-साथ कई अन्य लाभार्थी उन्मुख और गैर-लाभार्थी उन्मुख गतिविधियों सहित कई गतिविधियों के साथ लागू किया गया है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के माध्यम से मत्स्यपालन विभाग और संबंधित राज्य मत्स्यपालन विभाग के समन्वय से जागरूकता पैदा करने और पीएमएमएसवाई को लोकप्रिय बनाने के लिए अभियान, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाओं के माध्यम से विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोट अपग्रेड और रीपलेसमेंट और अन्य गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे। दूरदराज के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सागर परिक्रमा, मत्स्य संपदा जागृति अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से घर-घर अभियान भी चलाए गए और विभिन्न प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और मास मीडिया के माध्यम से प्रचार किया गया।

पीएमएमएसवाई की केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत लाभार्थी उन्मुख गतिविधियों को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया गया है और पात्र लाभार्थियों को संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से सरकारी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नकदी प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने के लिए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत राज्य सरकारों को "जस्ट-इन-टाइम" आधार पर केंद्रीय निधि जारी करने के लिए एक वैकल्पिक निधि प्रवाह तंत्र को अधिसूचित किया है। इस नई प्रणाली को एसएनए-स्पर्श नाम दिया गया है जिसमें पीएमएमएसवाई को शामिल किया गया है और इस नई प्रणाली के अंतर्गत, निधि सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की जाती है।

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद पीएमएमएसवाई के अंतर्गत फिशिंग वेसेल्स के बीमा की गतिविधि को कार्यान्वित कर रहा है। इस गतिविधि के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों में फिशिंग वेसल्स के विभिन्न आयामों के साथ कई श्रेणियों को शामिल करना, लाभार्थियों द्वारा वेसेल्स के बीमा की स्वीकार्यता और अपनाने की क्षमता, उच्च प्रीमियम राशि, बीमा कंपनियों से अपर्याप्त प्रतिक्रिया, बेस डेटा का संग्रह और संकलन, फिशिंग वेसेल्स के बीमा के तरीकों पर हितधारकों और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आम सहमति बनाना और प्रीमियम दर और बीमित राशि पर सहमति शामिल है।

(ग): प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरे परिवारों को मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, प्रति लाभार्थी 3000/-रुपए की सरकारी सहायता सालाना प्रदान की जाती है और लाभार्थी 1500/-रुपए का वार्षिक योगदान देता है। 4500 रुपए की यह संचित राशि मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के तीन महीनों के दौरान नामांकित लाभार्थियों को जारी की जाती है। 3,000 रुपए की सरकारी सहायता केंद्र और राज्यों के बीच सामान्य राज्य के लिए 50:50, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए 80:20 के अनुपात में और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% के अनुपात में साझा की जाती है। विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान, 490.84 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ 1384.80 करोड़ रुपए के कुल निवेश से औसतन 5.95 लाख मछुआरों को सालाना आजीविका और पोषण सहायता प्रदान की गई।

(घ) और (ड): प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) में मछुआरों और मत्स्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा उनकी बारगेनिंग पॉवर को बढ़ाने के लिए मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) की स्थापना की परिकल्पना की गई है। पीएमएमएसवाई के केंद्रीय क्षेत्र योजना घटक के अंतर्गत एफएफपीओ के गठन और प्रोत्साहन को 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ सहायता प्रदान की जाती है। प्रदान की जाने वाली सहायता में मुख्य रूप से एफएफपीओ गठन और इन्क्यूबेशन लागत, प्रबंधन लागत और इक्विटी ग्रांट शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एफएफपीओ को शामिल करने या सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण करने की एकमुश्त पंजीकरण लागत भी प्रदान की जाती है। मजबूत एफएफपीओ के विकास और आत्मनिर्भर आधार पर व्यावसायिक गतिविधियों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मुख्य कार्यकारी कार्यालयों (सीईओ)/निदेशक मंडल (बीओडी) और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान किया जाता है। क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और कौशल विकास के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ लेखांकन, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और मारकेटिंग तथा प्रौद्योगिकी और नवाचारों के हस्तांतरण सहित प्रबंधकीय पहलुओं के साथ फिशरीज़ वैल्यू चैन के वरटिकल और होरिज़ोंनटल पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि एफएफपीओ के गठन के माध्यम से मछुआरों के आर्थिक मानक में सुधार हो सके। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 544.86 करोड़ रुपए की कुल लागत से 195 नए एफएफपीओ के गठन और मौजूदा 2000 प्राथमिक मछुआरा सहकारी समितियों को एफएफपीओ के रूप में मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), समाल फारमर्स अग्री बिज़नेस कंसोरटियम (एसएफएसी) और एनएफडीबी को प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं।

*****